

>

Title: Introduction of the Abolition of Capital Punishment Bill, 2011.

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में मृत्यु दंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of capital punishment in India."

The motion was adopted.

श्री प्रदीप टम्टा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
